

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिभकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 1982/कार्तिक 11, 1904
No. 323] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 1982/KARTIKA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 240/82—सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1982

सांकांनि० 658 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 213/82 सीमाशुल्क तारीख 20 सितम्बर, 1982 को अधिकार्य करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)

की द्वितीय अनुसूची के शर्षक सं० 1 का अंतर्गत अने वार्ग, काफी को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय सीमाशुल्क के उक्त भाग में छूट देती है जो प्रति क्विंटल 440 रुपये से अधिक है।

[फा० सं० 347/7/78-टी० व्हा० यू०]

जे० श्रीधरन, प्रभार सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 240/82-CUSTOMS

New Delhi, the 2nd November, 1982

G.S.R. 658(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 213/82-Customs, dated the 20th September, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 440 per quintal.

[F. No. 347/7/78-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.